

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक: एफ 1(2) ( 1 ) आ.प्र.एवं सहा./अनुग्रह/2010/5785-86

जयपुर, दिनांक 17.5.11

जिला कलक्टर,  
बांसवाड़ा, डूंगरपुर(राज0)

विषय:- अभाव सम्वत 2067 अन्तर्गत अभाव प्रभावित क्षेत्रों में अनुग्रह सहायता  
उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

इस विभाग के आदेश क्रमांक 2271-80 दिनांक 23.2.2011 द्वारा अभाव प्रभावित क्षेत्रों में अनुग्रह सहायता 20.1.2011 से सर्वप्रथम 60 दिवस के लिए स्वीकृत की गई थी। विभाग के आदेश क्रमांक 5042-43 दिनांक 27.4.2011 द्वारा अनुग्रह सहायता राशि भुगतान को 60 दिवस से बढ़ाकर 120 दिवस कर दिया गया है। यह अवधि भी दिनांक 19.5.2011 को समाप्त होने जा रही है।

इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा अब इस अवधि को दिनांक 15.7.2011 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अतः तदानुसार अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान पात्र व्यक्तियों को किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

  
शासन उप सचिव